



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128883

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 21447 वर्ष 2026

रज्जन द्विवेदी याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : केशरी नाथ त्रिपाठी, कुन्दक्ष कुमार द्विवेदी

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 47 वर्ष 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 352, 351(3), 117(2), थाना पैलानी, जनपद बांदा के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। हमले की मुख्य भूमिका सह-अभियुक्त नंगू @ अमित द्विवेदी को सौंपी गई है। आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त, अर्थात् नंगू @ अमित द्विवेदी और पवन कुमार द्विवेदी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दाण्डिक विविध जमानत याचिका संख्या 26392 वर्ष 2025 और 24534 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 13.11.2025 और 29.08.2025 के आदेशों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह दिनांक 13.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् नंगू @ अमित द्विवेदी और पवन कुमार द्विवेदी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।
6. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् नंगू @ अमित द्विवेदी और पवन कुमार द्विवेदी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही उस पर रोक लगाई गई है, तथा आवेदक दिनांक 13.05.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।
7. जमानत याचिका अनुमन्य की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-रज्जन द्विवेदी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक को (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय किए जाने तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

ए.पी. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।